रजिस्टर्ड नं० HP/13/SML-2006.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, वीरवार, 9 मार्च, 2006 / 18 फाल्गुन, 1927

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला–2, 9 मार्च, 2006

संख्या वि० स०–विधायन–गवर्न.बिल. 1–18 / 2006.––हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत दण्ड विधि (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2006 (2006 का विधेयक संख्यांक 4) जो आज दिनांक 9 मार्च, 2006 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित

4880–राजपत्र / 2006–9–3–2006––1,476. (7727) मूल्य : 1 रुपया।

हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित / –
(जे0 आर0 गाज़टा)
सचिव,
हिमाचल प्रदेश विधान सभा।

2006 का विधेयक संख्यांक 4

दण्ड विधि (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2006

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश राज्य में यथा लागू भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक।**

भारत गणराज्य के सतावनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दण्ड विधि (हिमाचल प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2006 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य पर है।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

1860 के केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक 45 का संशोधन।

2. हिमाचल प्रदेश राज्य में यथा लागू भारतीय दण्ड संहिता की धारा 289 के पश्चात् निम्नलिखित धारा जोड़ी जाएगी, अर्थात् :—

"289—क. **लोक स्थान में बंदरों को खिलाना.**— जो कोई राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित से अन्यथा लोक स्थान में खाद्य वस्तुएं फैंकेगा और तद्द्वारा बन्दरों को खाद्य पदार्थों को लेने के लिए ऐसे स्थान पर इकट्ठा होने के लिए प्रलोभित करेगा जिसके परिणामस्वरूप मानव जीवन को खतरा कारित हो जाए या जिससे जनता या जनसाधारण को क्षति या क्षोभ कारित होना सम्भाव्य हो या यानीय यातायात के निर्बाध आवागमन में प्रतिबाधा कारित हो, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डित किया जाएगा।"।

1974 के केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक 2 का संशोधन।

3. दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 की प्रथम अनुसूची के शीर्षक "**I भारतीय दण्ड संहिता के अधीन अपराध**" के अधीन, धारा 289 से सम्बन्धित प्रविष्टियों के

पश्चात् निम्नलिखित प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

1	2	3	4	5	6
"289 क.	जो कोई राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित से अन्यथा लोक स्थानों में खाद्य वस्तुएं फैकेगा और तद्द्वारा बंदरों को खाद्य पदार्थों को लेने के लिए ऐसे स्थान पर इकट्ठा होने के लिए प्रलोभित करेगा जिसके परिणामस्वरूप मानव जीवन को खतरा कारित हो जाए या जिससे जनता या जनसाधारण को क्षति या क्षोभ कारित होना सम्भाव्य हो या स्थानीय यातायात के निर्बाध आवागमन में प्रतिबाधा कारित हो	एक मास के लिए कारावास या एक हजार रुपये का जुर्माना या दोनों	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त।"।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

माननीय उच्च न्यायालय, हिमाचल प्रदेश ने वर्ष 2003 की सिविल रिट याचिका संख्या 653 नामत: कंवर रणजीत सिंह बनाम भारत सरकार व अन्य, लम्बित है। तारीख 29 7 2004 के अन्तरिम आदेश में माननीय उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को निदेश दिए हैं कि वह भारतीय दण्ड संहिता में संशोधन करने के साथ साथ विशेष विधि अधिनियमित करने हेतु विधान लाने के लिए पूरक आवश्यक कार्रवाई करे। अत माननीय उच्च न्यायालय के निदेशों को अनुपालना करने हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य में यथा लागू भारतीय दण्ड संहिता तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में संशोधन करने का विनिश्चय किया गया है। इसलिए भारतीय दण्ड संहिता और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में संशोधन करना आवश्यक हो गया है।

यह विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

वीरभद्र सिंह,
मुख्य मन्त्री।

शिमला ।

तारीख ..... 2006.

वित्तीय ज्ञापन

शून्य

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

शून्य

दण्ड विधि (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2006

हिमाचल प्रदेश राज्य में यथा लागू भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक**।

वीरभद्र सिंह,
मुख्य मंत्री।

सुरेन्द्र सिंह ठाकुर,
प्रधान सचिव (विधि) ।

शिमला :
तारीख ..... 2006.

Bill No. 4 of 2006.

THE CRIMINAL LAW (HIMACHAL PRADESH AMENDMENT) BILL, 2006

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL,

further to amend the Indian Penal Code (Act No. 45 of 1860) and the Code of Criminal Procedure, 1973(Act No.2 of 1974), in their application to the State of Himachal Pradesh.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Fifty-seventh Year of the Republic of India, as follows:—

1. (1) This Act may be called the Criminal Law (Himachal Pradesh Amendment) Act, 2006. Short title, extent and commencement.

(2) It extends to whole of the State of Himachal Pradesh.

(3) It shall come into force at once.

2. After section 289 of the Indian Penal Code, in its application to the State of Himachal Pradesh, the following section shall be added, namely :— Amendment of Central Act No.45 of 1860.

"**289-A.** *Feeding of Monkeys in public place.*— Whoever throws eatables in public place, other than those notified by the State Government in the Official Gazette, and thereby entice monkeys to assemble at such place for taking eatables which result in causing danger to human life or to be likely to cause injury or annoyance to the public or to the people in general or to cause hindrance in smooth running of vehicular traffic, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to one month or with fine which may extend to one thousand rupees or with both.".

3. In the First Schedule to the Code of Criminal Procedure, 1973, under the heading "I. OFFENCES UNDER THE INDIAN PENAL CODE", after the entries Amendment of Central Act No. 2 of 1974.

relating to section 289, the following entries shall be inserted, namely :—

1	2	3	4	5	6
"289-A.	Whoever throws eatables in public place, other than those notified by the State Government in the Official Gazette, and thereby entice monkeys to assemble at such place for taking eatables which result in causing danger to human life or to be likely to cause injury or annoyance to the public or to the people in general or to cause hindrance in smooth running of vehicular traffic	Imprisonment for one month or fine of Rs. 1000/- or both	Ditto	Ditto	Ditto.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

A civil writ petition No.653 of 2003—titled as Kanwar Rattanjit Singh *Versus* Union of India and others is pending in the Hon'ble High Court of Himachal Pradesh. In the interim order dated 29-7-2004, the Hon'ble High Court has directed the State Government to take immediate necessary action to bring a legislation both with respect to the amendment in the Indian Penal Code as well as enacting a special law. Thus, in order to comply with the directions of the Hon'ble High Court, it has been decided to amend the Indian Penal Code and the Code of Criminal Procedure,1973 in their application to the State of Himachal Pradesh. This has necessitated the amendments in the Indian Penal Code and Code of Criminal Procedure,1973.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objective.

VIRBHADRA SINGH,
Chief Minister.

SHIMLA :
the .....2006.

FINANCIAL MEMORANDUM

-Nil-

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

-Nil-

THE CRIMINAL LAW (HIMACHAL PRADESH AMENDMENT) BILL, 2006

A

BILL

further to amend the Indian Penal Code (Act No.45 of 1860) and the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No.2 of 1974), in their application to the State of Himachal Pradesh.

VIRBHADRA SINGH,
Chief Minister.

SURINDER SINGH THAKUR,
Principal Secretary (Law).

SHIMLA:

The ..... 2006.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित